

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-309
दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

500 गीगावाट संस्थापित क्षमता की उपलब्धि एवं गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भागीदारी

309. डा. भागवत कराड़ः
श्री दीपक प्रकाशः
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः
श्री अमर पाल मौर्यः
श्रीमती किरण चौधरीः
श्री केसरीदेवसिंह झालाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा सितंबर, 2025 में 500 गीगावाट की संस्थापित विद्युत क्षमता की उपलब्धि प्राप्त करने का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल संस्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है और क्या कॉप 26 में घोषित पचास प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) 2025 के दौरान सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धि सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने की रूपरेखा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की रणनीति क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए संभावित स्थिति क्या है और इसके लिए सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : सितंबर 2025 में 500 गीगावाट की उपलब्धि के समय की संस्थापित उत्पादन क्षमता तथा 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण, जिसमें जीवाश्म एवं गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी दर्शाई गई है, अनुबंध-1 पर दिया गया है। दिनांक 31.12.2025 तक कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 5,13,730 मेगावाट है, जिसमें 2,46,942 मेगावाट (48.07%) जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 2,66,788 मेगावाट (51.93%) गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है।

भारत ने जून, 2025 में अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर ऊर्जा पारगमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय

स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में निर्धारित लक्ष्य से पाँच वर्ष से भी अधिक समय पूर्व है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

(ग) : वर्ष 2025 के दौरान, कुल 48,436 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। इसमें 37,945 मेगावाट सौर ऊर्जा और 6,347 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। वर्ष 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(घ) : वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का विवरण और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की रणनीति निम्नानुसार है:

1. भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति देने के लिए कई कदम और पहलें की हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (इसके बाद जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवाई होने वाली हाइड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा प्रतिवर्ष 50 गीगावाट की दर से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों के निर्गमन हेतु बोली ट्रेजेक्ट्री जारी किया है।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत जनजातीय एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) आबादी/गांवों के लिए नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (ix) भारत सरकार ने सितंबर, 2023 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीएसईएस) के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को स्वीकृति प्रदान की थी। इस स्कीम के अंतर्गत

3,760 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान के साथ 13.22 गीगावाट-घंटा बीईएसएस क्षमता का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने जून, 2025 में 30 गीगावाट-घंटा बीईएसएस क्षमता के विकास हेतु एक और वीजीएफ स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- (x) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के पश्चात नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) की ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। नवीकरणीय खपत दायित्व जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू है, का अनुपालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान होगा। आरसीओ में विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निर्धारित मात्रा में ऊर्जा खपत का प्रावधान भी शामिल है।
- (xi) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।
- (xiii) 12,973.5 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और उनके वर्ष 2031-32 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
- (xiv) नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण तथा ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में देश में कुल 11,870 मेगावाट क्षमता वाली 10 पंप भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

2. इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा में अपार संभावनाएं हैं और यह वर्ष 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के लिए महत्वपूर्ण है। यह बेस लोड पावर का एक स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। न्यूक्लियर ऊर्जा से होने वाले लाईफ-साईकिल उत्सर्जन जलविद्युत एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तुलनीय हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। न्यूक्लियर ऊर्जा के माध्यम से भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. वर्ष 2033 तक कम-से-कम पाँच स्वदेशी रूप से अभिकल्पित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने तथा उन्नत न्यूक्लियर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक समर्पित न्यूक्लियर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया गया है।
- ii. स्वदेशी संसाधनों के आधार पर भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता का अधिकतम उपयोग सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित करने हेतु भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया गया है।
- iii. भारत की प्रमाणित प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल रिएक्टर (बीएसआर) को औद्योगिक केंद्रों में तैनाती हेतु उन्नत किया जा रहा है, जिससे डी-कार्बोनाइजेशन में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, बीएसआरसी द्वारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का भी विकास किया जा रहा है।
- iv. एक महत्वपूर्ण खोज सहित नई यूरेनियम खोजों के माध्यम से भारत की ईंधन सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे जादुगुड़ा खदान की समयावधि 50 वर्षों से अधिक बढ़ जाएगी। क्लोज्ड फ्यूल

साईकिल में हुई प्रगति, यथा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्राप्त उपलब्धियां सतत ईंधन आपूर्ति को और मजबूती प्रदान करेंगी।

- v. क्षमता वृद्धि को गति देने के लिए एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने मौजूदा वैधानिक ढांचे के अंतर्गत न्यूक्लियर संयंत्रों के विकास हेतु “अश्विनी” नामक संयुक्त उपक्रम का गठन किया है।

3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत के डी-कार्बोनाइजेशन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के अवसर भी उत्पन्न करेगा। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक कम-से-कम **5 एमएमटी प्रति वर्ष** हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य की दिशा में इस उपलब्धि का भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा पारगमन रोडमैप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और सुलभता को अपरिहार्य प्राथमिकताओं के रूप में ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2070 तक नेट-जीरो की दिशा में अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ विकास और प्रगति सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

(ड) : महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने आकलन किया है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के अलग-अलग जिलों में 120 मीटर एजीएल (भूमि स्तर से ऊपर) पर 1,895 मेगावाट पवन ऊर्जा की संभावना है। इस संभावना के निमित्त, 1,141 मेगावाट की पवन क्षमता पहले ही संस्थापित की जा चुकी है।

इसी प्रकार, आकलन के अनुसार, 8,462 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संभावना है, जिसमें से 2,134 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता पहले ही मराठवाड़ा क्षेत्र में संस्थापित की जा चुकी है।

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (मेडा) ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने हेतु नई पवन परियोजनाओं के विकास, पुराने स्थलों के री-पावरिंग तथा भंडारण एवं हाइब्रिड प्रणालियों के एकीकरण के लिए पहल की हैं।

सितंबर 2025 और दिसंबर 2025 में, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण, जिसमें नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत का हिस्सा प्रतिशतता-वार दर्शाया गया है

देश की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)					
		30.09.2025 तक		31.12.2025 तक	
क्षेत्र		संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल में % हिस्सेदारी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल में % हिस्सेदारी
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,17,458	43.41%	2,19,610	42.75%
	लिग्नाइट	6,620	1.32%	6,620	1.29%
	गैस	20,132	4.02%	20,122	3.92%
	डीजल	589	0.12%	589	0.11%
	कुल जीवाश्म ईंधन	2,44,800	48.87%	2,46,942	48.07%
गैर-जीवाश्म ईंधन	आरईएस (जलविद्युत सहित)	2,47,310	49.37%	2,58,008	50.22%
	जलविद्युत (पीएसपी सहित)	50,108	10.00%	50,915	9.91%
	पवन, सौर और अन्य आरई	1,97,201	39.37%	2,07,093	40.31%
	पवन	53,124	10.61%	54,511	10.61%
	सौर	1,27,332	25.42%	1,35,810	26.44%
	बीएम पावर/सह उत्पादन	10,757	2.15%	10,757	2.09%
	अपशिष्ट से ऊर्जा	854	0.17%	857	0.17%
	लघु जलविद्युत	5,134	1.02%	5,159	1.00%
	न्यूक्लियर	8,780	1.75%	8,780	1.71%
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन	2,56,090	51.13%	2,66,788	51.93%
कुल संस्थापित क्षमता		5,00,889	100.0%	5,13,730	100.0%

वर्ष 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का विवरण

सभी आंकड़े मेगावाट में							
अब तक	लघु जलविद्युत	पवन विद्युत	जैव विद्युत		सौर विद्युत	बड़ी जलविद्युत	कुल आरईएस
			बायो मास विद्युत/ सह-उत्पादन	अपशिष्ट से ऊर्जा			
2025 (जनवरी- दिसंबर)	58.06	6,347.77	29.10	236.68	37,945.22	3,820.00	48,436.83

आरईएस: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-310

दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों को एफजीडी प्रणाली संस्थापित करने से छूट

310. श्री प्रमोद तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई ताप विद्युत संयंत्रों को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली स्थापित करने से छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छूट के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उचित उत्सर्जन नियंत्रण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागत प्रभावी दृष्टिकोण को लागू करने हेतु क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए उत्सर्जन मानकों को [सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) सहित] अधिसूचित किया था। इसके अलावा, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए टीपीपी को तीन श्रेणियों अर्थात् श्रेणी क, ख और ग में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया है। तदनुसार, टीपीपी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था:

क्रम सं.	श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	टीपीपी की संख्या	यूनिट की संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में	17	66	20,577
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में	25	72	24,057
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल के अलावा	149	462	1,66,885.5
कुल			191	600	2,11,519.5

नोट: भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार

केंद्र सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में निर्धारित SO₂ उत्सर्जन मानकों की समीक्षा, इन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव, उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में कम SO₂ सांद्रता और विद्युत कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर भारी बोझ आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

इसके अलावा, इन मानकों की प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इनकी भूमिका के संबंध में स्वतंत्र शोध संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों को भी इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और उनके प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए ध्यान में रखा गया था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित SO₂ उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में दिनांक 11.07.2025 को एक अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, टीपीपी द्वारा SO₂ उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए प्रयोज्यता और समयसीमा नीचे सारणीबद्ध है:

श्रेणी	SO ₂ उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता	अनुपालन के लिए समय-सीमा (नॉन-रिटायरिंग यूनिट)	अनुपालन से छूट के लिए यूनिट के रिटायरमेंट की अंतिम तिथि
श्रेणी क	अनिवार्य	31.12.2027	31.12.2030
श्रेणी ख	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ताप परियोजनाओं) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाना है। यदि किसी टीपीपी को SO ₂ उत्सर्जन मानकों से छूट के लिए विचार किया जाता है, तो ऐसे टीपीपी को दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742(अ) के अनुसार स्टैक हाईट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।	31.12.2028	
श्रेणी ग	दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742 (अ) के अनुसार स्टैक हाईट का अनुपालन करने की शर्त पर लागू नहीं।	31.12.2029	

टीपीपी में SO₂ उत्सर्जन मानकों की श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्धारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-दिल्ली, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर)- राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएस)-बैंगलुरु द्वारा किए गए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और देश भर में, टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित, परिवेशी SO₂ सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इस दृष्टिकोण में घनी आबादी वाले और अन्य वायु प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसे कम करने संबंधी एहतियाती सिद्धांत को अपनाया गया है, साथ ही यह जल, सहायक

विद्युत और चूना पत्थर के अतिरिक्त उपभोग से बचाव कर संसाधन संरक्षण पर भी ज़ोर देता है, और किए गए रोकथाम उपायों के प्रचालन के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट/CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि को रोकता है, तथा इसके साथ ही इन उपायों के लिए अपेक्षित चूना पत्थर के खनन और परिवहन पर भी ध्यान देता है।

(ड) : सभी टीपीपी को एमओईएफ एंड सीसी द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। टीपीपी को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा स्थापना और/या संचालन के लिए सहमति प्रदान करके विनियमित किया जाता है। इन अधिनियमों में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन न करने के लिए दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं।

एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना तथा इसके बाद के संशोधनों के अनुसार स्टैक उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने के लिए, टीपीपी पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) मानकों के अनुपालन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ईएसपी) के उन्नयन, NO_x उत्सर्जन मानकों के लिए NO_x दहन संशोधन, और SO₂ उत्सर्जन मानकों के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (एफजीडी) सिस्टम की स्थापना जैसी प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं।

इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा से अधिक आगे अनुपालन न करने की स्थिति में, अनुपालन न करने वाले टीपीपी (SO₂ तथा SO₂ के अलावा अन्य मानदंड दोनों के लिए) पर निम्नलिखित पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी लगाया जा सकता है:

समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालन प्रचालन	पर्यावरण क्षतिपूर्ति (₹. प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन तथा आगे	0.40

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-311
दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ
प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना

311. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौभाग्य के कार्यान्वयन के दौरान विद्युतरहित परिवारों की अनुमानित संख्या को किस आधार पर कम किया गया है;

(ख) वर्तमान में चिह्नित विद्युतरहित या निष्क्रिय कनेक्शन वाले परिवारों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) सौभाग्य और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त बजटीय ऋण की राशि कितनी है; और

(घ) अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का कितना बोझ पड़ा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी, ताकि देश के ग्रामीण इलाकों में सभी इच्छुक गैर विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन देकर सभी घरों में विद्युत पहुंचाई जा सके। सौभाग्य स्कीम के अनुसार, बिना विद्युत वाले घरों की कुल संख्या 300 लाख होने का अनुमान था, जिसके मुकाबले सौभाग्य स्कीम के दौरान देश भर में 286 लाख घरों में विद्युत पहुंचाई गई और सभी राज्यों ने 31.03.2019 से पहले पहचाने गए सभी इच्छुक बिना विद्युत वाले घरों में 100% विद्युत पहुंचाने की सूचना दी है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** पर है।

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बेहतर बनाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के तहत अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 6522 करोड़

रुपये के कार्य देश के 13,65,139 घरों के विद्युतीकरण के लिए मंजूर किए गए हैं। इसमें यथा व्यवहार्य प्रधानमंत्री जन जाति महा न्याय अभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जन जातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवारों के लिए स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। आरडीएसएस (पीवीटीजी + अतिरिक्त परिवार) के तहत घरेलू विद्युतीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(ग) और (घ) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत आरईसी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त बजटीय उधारी की राशि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्कीम	राशि करोड़ रुपये में
1	सौभाग्य	2,950.00
2	डीडीयूजीजेवाई	21,159.30
कुल		24,109.30

स्कीम के लिए पूरी निधि निर्धारित समय के अंदर इस्तेमाल कर लिया गया।

सौभाग्य अवधि के दौरान विद्युतीकृत घरों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

*सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत गैर-वित्तपोषित

आरडीएसएस (पीवीटीजी+अतिरिक्त घर) के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्यों के नाम	कुल संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		
आंध्र प्रदेश	15,475	15,307
अरुणाचल प्रदेश	6,506	0
असम	127,111	0
बिहार	35,467	0
छत्तीसगढ़	34,078	188
जम्मू और कश्मीर	15,359	0
झारखंड	4,853	371
केरल	40	11
मध्य प्रदेश	196	21
मणिपुर	36,972	0
मेघालय	50,501	0
मिजोरम	15,167	0
नागालैंड	10,004	0
राजस्थान	338,702	79,526
उत्तर प्रदेश	251,487	1,317
कुल (क)	941,918	96,741
हिमाचल प्रदेश*	0	0
अरुणाचल प्रदेश	1,683	0
उत्तराखंड	1,154	0
भाग (ख)	2,837	0
आंध्र प्रदेश	24,967	24,925
बिहार	-	0
छत्तीसगढ़	7,077	7,160
झारखंड	12,442	11,146
कर्नाटक	1,615	1,546
केरल	345	313
मध्य प्रदेश	30,216	27,006
महाराष्ट्र	8,556	9,216
राजस्थान	17,633	16,023
तमिलनाडु	8,603	6,939
तेलंगाना	3,884	3,884
त्रिपुरा	11,664	11,692
उत्तर प्रदेश	316	195
उत्तराखंड	669	669
उप-जोड़ (ग1)	127,987	120,714
गुजरात	0	6,626
ओडिशा	0	5,156
पश्चिम बंगाल	0	3,372
उप-जोड़ (ग2)	0	15,154

मध्य प्रदेश	25	20
उप-जोड़ (ग3)	25	20
कुल (ग=ग1+ग2+ग3)	128,012	135,888
आंध्र प्रदेश	4,921	4,359
अरुणाचल प्रदेश	1,938	1,469
बिहार	7,117	648
छत्तीसगढ़	39,579	12,245
हिमाचल प्रदेश	93	10
जम्मू एवं कश्मीर	13,824	0
झारखंड	19,467	0
कर्नाटक	5,288	1,101
केरल	1,080	204
मध्य प्रदेश	59,172	11,910
महाराष्ट्र	6,961	5,228
राजस्थान	82,842	7
तेलंगाना	26,525	15,442
त्रिपुरा	7,677	5,089
उत्तर प्रदेश	6,867	65
उत्तराखंड	207	135
उप-जोड़ (घ1)	283,558	57,912
ओडिशा	0	0
उप-जोड़ (घ2)	0	0
आंध्र प्रदेश	182	129
अरुणाचल प्रदेश	9	9
हिमाचल प्रदेश	7	3
झारखंड	1,910	0
केरल	17	0
मध्य प्रदेश	650	67
राजस्थान	195	0
तेलंगाना	672	0
त्रिपुरा	512	0
उत्तर प्रदेश	30	7
उत्तराखंड	19	3
उप-जोड़ (घ3)	4,203	218
ओडिशा	0	0
उप-जोड़ (घ4)	0	0
कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	287,761	58,130
आंध्र प्रदेश	811	411
झारखंड	1,782	0
मध्य प्रदेश	6	3
महाराष्ट्र	2,012	21
कुल (ङ)	4,611	435
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	1,365,139	291,194

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-312
दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

"प्रगति" प्लेटफॉर्म के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

312. श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत समीक्षा की गई 53 विद्युत परियोजनाओं में से 43 परियोजनाएं दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक चालू हो चुकी हैं;

(ख) शेष दस निर्माणाधीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और उन्हें पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रमुख प्रशासनिक और तकनीकी बाधाओं की पहचान की है जिनके कारण इन परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब हुआ है; और

(घ) क्या प्रगति मॉडल की सफलता को देखते हुए राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर भी ऐसी निगरानी प्रणाली लागू करने की कोई योजना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : जी हां, प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत समीक्षा की गई 53 विद्युत परियोजनाओं में से, 43 परियोजनाएं दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक चालू हो गई हैं। शेष 10 निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की स्थिति अनुबंध पर है।

प्रगति इकोसिस्टम के तहत बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली, प्रशासनिक स्तरों पर समन्वित कार्रवाई को संभव बनाती है। इस प्रणाली के तहत, राज्य/उप-राज्य स्तरों पर समीक्षा बैठकें भी बुलाई जाती हैं, जिसमें केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के साथ-साथ जिला कलेक्टरों और जिला-स्तरीय अधिकारियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये जिला प्रतिनिधि ज़मीनी चुनौतियों, अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं और समाधान में मदद करते हैं।

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की स्थिति जिनकी प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत समीक्षा की गई थी (दिसंबर-2025 तक)

क्रम सं.	प्रगति समीक्षा की तिथि	परियोजना का नाम/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	कमीशनिंग की मूल तिथि	कमीशनिंग की अनुमानित तिथि	प्रगति (%)		देरी के कारण
						भौतिक	वित्तीय	
1	26.04.2017	पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) राज्य: मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय	6,700	दिसंबर-2018	मार्च-2026	96.6	81.6	i. सब-स्टेशन के लिए समय पर भूमि उपलब्धता में देरी, राइट ऑफ वे (आरओडबल्यू) की समस्याएँ और वैधानिक मंजूरीयाँ ii. राज्यों की ज़रूरतों के आधार पर कार्य के दायरे में अवाई के बाद बदलाव iii. कनेक्टिविटी अवसंरचना (सड़क, पुल आदि) की कमी iv. बार-बार कानून-व्यवस्था की समस्याएँ।
2	27.06.2018/ 25.08.2021	अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए व्यापक स्कीम राज्य: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	9,129	दिसंबर-2018	मार्च-2027	82.5	85.5	i. मुआवज़े के आकलन और संवितरण में देरी। ii. राज्य सरकार से वन कार्य की अनुमति मिलने में देरी। iii. राज्य सरकार द्वारा सबस्टेशन भूमि सौंपने और आरओडबल्यू के समाधान में देरी। iv. उत्तरी सिक्किम में अचानक गंभीर बाढ़।
3	29.06.2016	520 मेगावाट तपोवन-विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना (टीवीएचपीपी) (4x130 मेगावाट) राज्य: उत्तराखंड	10,907	मार्च-2013	वित्त वर्ष 2029-30	74.5	68.0	i. अचानक बाढ़, ग्लेशियर फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण देरी। ii. जोशीमठ में ज़मीन धंसने की रिपोर्ट के बाद राज्य प्रशासन द्वारा दिनांक 05.01.23 से टीवीएचपीपी में कार्य रोकना। (दिनांक 23.09.24 को कार्य पुनः शुरू हुआ)। iii. भूवैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाओं के कारण देरी।
4	27.09.2017/ 25.05.2022	पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-I (3x800 मेगावाट) राज्य: झारखंड	20,302	मार्च-2023	वित्त वर्ष 2026-27	87.0	89.0	i. जेयूएसएनएल, झारखंड सरकार द्वारा संबद्ध पारेषण प्रणाली की तैयारी में देरी। ii. ऐश माउंट के निर्माण के लिए बाधामुक्त भूमि उपलब्ध न होना। iii. कानून और व्यवस्था की समस्याएँ। iv. वन भूमि के लिए मंजूरी में देरी और रेत की

क्रम सं.	प्रगति समीक्षा की तिथि	परियोजना का नाम/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	कमीशनिंग की मूल तिथि	कमीशनिंग की अनुमानित तिथि	प्रगति (%)		देरी के कारण
						भौतिक	वित्तीय	
								अनुपलब्धता/अवरुद्ध आपूर्ति। v. ईपीसी एजेंसी द्वारा कार्य निष्पादन में समस्या।
5	25.11.2020	पाकल दुल जलविद्युत परियोजना यूटी: जम्मू और कश्मीर	12,728	अप्रैल-2020	दिसंबर-2026	77.0	63.3	i. निविदा प्रक्रिया के दौरान न्यायालयी केस के कारण शुरुआती देरी। ii. एडिट टनल स्थल पर भूवैज्ञानिक अप्रत्याशित घटना। iii. कानून और व्यवस्था की समस्याएँ।
6	24.09.2025	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) राज्य: अरुणाचल प्रदेश	31,876	फरवरी-2032	फरवरी-2032	16.7	11.7	कमीशनिंग की मूल तारीख फरवरी-2032 है। इसलिए कोई देरी नहीं हुई है।
7	26.08.2015	टिहरी पंप भंडारण परियोजना (4x250 मेगावाट) राज्य: उत्तराखंड	8,339	जुलाई-2010	मार्च-2026	98.9	98.0	i. निविदा प्रक्रिया के दौरान कानूनी मुद्दे और स्थानीय परेशानियों के साथ खदान/डंपिंग क्षेत्रों की अनुपलब्धता। ii. भूवैज्ञानिक बदलाव जिनके कारण डिज़ाइन और कार्यान्वयन में बदलाव करने पड़े।
8	25.08.2021	विष्णुगाड पिपलकोटी जलविद्युत परियोजना (444 मेगावाट) राज्य: उत्तराखंड	6,405	जून-2013	सितंबर-2027	75.0	84.7	i. स्थानीय विरोध के कारण पर्यावरण और वन मंजूरी में देरी। ii. अत्यधिक प्राकृतिक घटनाएँ। iii. प्रतिकूल भूविज्ञान के कारण काम का दायरा बढ़ना और सुरंग निर्माण में देरी।
9	28.08.2024	गोवा तमनार पारेषण परियोजना राज्य: कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गोवा	1,531	नवंबर-2021	दिसंबर-2027	67.0	72.0	i. कर्नाटक में, खासकर धारवाड़ जिले में आरओडबल्यू (राइट ऑफ वे) से जुड़े मुद्दे। ii. वन और वन्यजीव मंजूरी में देरी। iii. जेल्डम सब-स्टेशन पर गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट (जीईडी) द्वारा डाउनस्ट्रीम एलिमेंट्स के निर्माण में देरी।
10	31.12.2025	पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में आईएसटीएस नेटवर्क विस्तार स्कीम राज्य: कर्नाटक, महाराष्ट्र	2,550	जुलाई-2024	जून-2026	87.0	81.0	i. पुणे और विजयपुरा जिले में आरओडबल्यू की समस्याएँ। ii. जिला प्रशासन द्वारा भूमि मुआवजे के आदेशों को अंतिम रूप देने में देरी। iii. कर्नाटक में वन मंजूरी में काफी देरी हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-313
दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कृषि फीडरों की स्थिति

313. श्रीमती रंजीत रंजनः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ऐसे कृषि फीडरों की राज्य-वार संख्या क्या है जिनका मूल रूप से मूल्यांकन, स्वीकृति और वास्तव में पृथक्करण किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने अकृषक ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घंटों पर अपूर्ण फीडर पृथक्करण के प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) उन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां कार्य आवंटन में निर्धारित समय-सीमा से 12 महीने और 24 महीने अधिक हो गया; और

(घ) उन मामलों की संख्या कितनी है जहां अनिवार्य पूर्व शर्तों, जैसे कि समझौतों और राज्य अंशदान, की पूर्ति से पहले धनराशी जारी कर दी गई थी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में 43,033 करोड़ रुपये के व्यय के साथ डीडीयूजीजेवाई शुरू की थी, जिसमें 33,453 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल थी। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना को मज़बूत करना और बढ़ाना, कृषि और गैर-कृषि फीडर को अलग करना और देश भर के गांवों का विद्युतीकरण करना था।

डीडीयूजीजेवाई स्कीम के तहत पहचाने गए और अलग किए गए फीडरों का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य	संस्तुति	उपलब्धि
1	बिहार	698	698

2	छत्तीसगढ़	356	205
3	गुजरात	45	0
4	हरियाणा	35	35
5	हिमाचल प्रदेश	5	5
6	जम्मू एवं कश्मीर	151	34
7	झारखंड	409	409
8	कर्नाटक	927	927
9	मध्य प्रदेश	1284	873
10	महाराष्ट्र	1077	583
11	ओडिशा	89	89
12	पंजाब	76	76
13	राजस्थान	2131	1458
14	तमिलनाडु	29	29
15	उत्तर प्रदेश	1891	1891
16	उत्तराखंड	44	44
17	पश्चिम बंगाल	585	477
कुल		9832	7833

स्रोत: नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड

(ख) : डीडीयूजीजेवाई स्कीम का एक बड़ा प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया, जिसमें सभी राज्यों और ज्यादातर संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। अध्ययन से पता चला कि डीडीयूजीजेवाई के बाद गांवों में विद्युत आपूर्ति के घंटों में लगभग 39% का सुधार हुआ है। इसके अलावा, इस सर्वेक्षण में शामिल 100% गांवों और उपभोक्ताओं ने आपूर्ति के घंटों में सुधार की बात कही है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के तहत 33 राज्यों में कुल 673 परियोजनाएं संस्तुत की गईं, जिनमें से 154 परियोजनाओं में काम शुरू होने में तय समय सीमा से 12 महीने से ज्यादा और 24 परियोजनाएं में 24 महीने से ज्यादा की देरी हुई, जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	राज्य	12 महीने से ज्यादा विलंब वाली परियोजनाएं	24 महीने से ज्यादा विलंब वाली परियोजनाएं
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1
2	असम	0	8
3	बिहार	2	0
4	छत्तीसगढ़	2	0
5	गोवा	2	0
6	हरियाणा	7	0

7	हिमाचल प्रदेश	10	1
8	जम्मू और कश्मीर	0	13
9	झारखंड	24	0
10	कर्नाटक	23	0
11	मध्य प्रदेश	26	1
12	महाराष्ट्र	27	0
13	मिजोरम	1	0
14	पंजाब	20	0
15	तेलंगाना	1	0
16	उत्तर प्रदेश	9	0
कुल योग		154	24

स्रोत: नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड

(घ) : भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम, डीडीयूजीजेवाई को वर्ष 2014-15 के अंत में इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि स्कीम को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके। इसी वर्ष इस स्कीम के लिए बजट भी आवंटित किया गया था। इस स्कीम को समय पर शुरू करने में मदद करने के लिए, यह तय किया गया कि उन राज्यों के निधि जारी करने की मांगों पर विचार किया जाएगा, जिनकी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार थी, इस विश्वास के साथ कि वे तय समय के अंदर और अगली किस्त जारी होने से पहले माइलस्टोन और शर्तों का पालन करेंगे।

इसलिए, एक अपवाद के तौर पर, सक्षम अधिकारियों की मंजूरी से 6 राज्यों अर्थात् गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की विद्युत यूटिलिटी को 541 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-315

दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटर लगाने में प्रगति

315. डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

डा. अशोक कुमार मित्तल:

श्री मोकरिया रामभाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्मार्ट मीटरों की संस्थापना में राज्य-वार क्या प्रगति हुई है और दिसंबर 2025 में हासिल की गई उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) डिस्कॉम के कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे को कम करने में "प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग" का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) मोबाइल ऐप आधारित रिचार्ज और खपत निगरानी की सुविधा के संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) बिजली खपत के संबंध में चलाए जा रहे उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत प्रमुख पहलों में उपभोक्ताओं, वितरण ट्रांसफॉर्मरों तथा फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग शामिल है।

आरडीएसएस के अंतर्गत 28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की 45 वितरण यूटिलिटी के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 52.53 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मरों तथा 2.05 लाख फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग शामिल है। 31 दिसंबर, 2025 तक इस स्कीम के अंतर्गत 3.90 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा अपनी राज्य स्कीमों/अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर, 31 दिसंबर 2025 तक देश में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 5.28 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा

चुके हैं। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-1** पर दिया गया है।

(ख) : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग से डिस्कॉम के साथ-साथ उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। इससे डिस्कॉम को अग्रिम राजस्व संग्रह में सुविधा होती है, जिसके परिणामस्वरूप संग्रहण दक्षता में सुधार, बकाया राशि में कमी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता घटने से ब्याज लागत में बचत, तथा डिस्कॉम के नकदी प्रवाह में सुधार होता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों तथा स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन सहित विभिन्न सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप, एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई है।

(ग) : स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लगभग रियल टाइम में विद्युत खपत की जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे बजट बनाने और खपत की निगरानी में सहायता मिलती है। इसके अलावा, इस एप्लिकेशन से रिचार्ज की सुविधा, कम बैलेंस एसएमएस/पुश अलर्ट और उपयोग अनुकूलन के लिए हिस्टोरिकल ग्राफ भी उपलब्ध होते हैं। डिस्कॉम स्तर पर नियमित उपभोक्ता सहभागिता गतिविधियों के माध्यम से उपभोक्ता फीडबैक लिया जा रहा है, जिसका उपयोग एप्लिकेशन के उपयोग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। नोडल एजेंसियों- आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड द्वारा किए गए फीडबैक सर्वेक्षण के अनुसार, मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने वाले 1,24,590 उपभोक्ताओं में से 54,321 उपभोक्ताओं को एप्लिकेशन की रियल टाइम खपत सुविधा की जानकारी थी, जबकि 72,494 उपभोक्ता रिचार्ज/बिल भुगतान विकल्प से अवगत थे।

(घ): आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों हेतु तैयार मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) में डेटा सुरक्षा तथा साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रमुख प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों में संचार अवसंरचना की सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा आवश्यकताएँ, साइबर सुरक्षा घटनाओं का प्रबंधन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम के अनुपालन आदि पहलू शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएसआईआरटी-पावर की स्थापना की गई है, जो विद्युत क्षेत्र में साइबर घटनाओं से निपटने में यूटिलिटी की सहायता करता है तथा साइबर सुरक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने में सहायक है।

(ङ): प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने हेतु वितरण यूटिलिटी, आरडीएसएस के अंतर्गत नोडल एजेंसियों-पीएफसी लिमिटेड एवं आरईसी लिमिटेड तथा एएमआई सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लाभ, मोबाइल ऐप के उपयोग और हेल्पलाइन नंबर दर्शाने वाले पैम्फलेटों का वितरण।
- उपभोक्ताओं की अधिक आवाजाही वाले स्थानों, डिस्कॉम मुख्यालय, मंडल एवं उप-मंडल कार्यालयों में बैनर लगाना।
- स्मार्ट मीटर संस्थापना के दौरान लाउडस्पीकर से घोषणा, स्थानीय भाषा में कहानी-आधारित ऑडियो जिंगल तथा उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से उपभोक्ता सहभागिता अभियान।
- उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लाभ समझाने एवं भ्रांतियों को दूर करने हेतु जागरूकता कैनोपी का प्रदर्शन।
- सोशल मीडिया के माध्यम से सहभागिता एवं जनसंपर्क गतिविधियाँ।

आरडीएसएस के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार स्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरिंग कार्य
(दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता मीटर (संख्या)		डीटी मीटर (संख्या)		फीडर मीटर (संख्या)		कुल मीटर (संख्या)	
		स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित
1	अंडमान और निकोबार	83,573	-	1,148	-	114	-	84,835	-
2	आंध्र प्रदेश	56,08,846	21,56,269	2,93,140	74,389	17,358	8,192	59,19,344	22,38,850
3	अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	47,941	10,116	311	688	263	2,98,250	48,515
4	असम	63,64,798	46,72,329	77,547	57,731	2,782	2,879	64,45,127	47,32,939
5	बिहार	23,50,000	19,74,061	2,50,726	1,82,145	6,427	5,775	26,07,153	21,61,981
6	छत्तीसगढ़	59,62,115	32,32,660	2,10,644	66,023	6,720	5,936	61,79,479	33,04,619
7	दिल्ली			766		2,755	-	3,521	-
8	गोवा	7,41,160	-	8,369	-	827	-	7,50,356	-
9	गुजरात	1,64,87,100	34,42,740	3,00,487	1,28,600			1,67,87,587	35,71,340
11	हिमाचल प्रदेश	28,00,945	7,02,046	39,012	22,054	1,951	1,603	28,41,908	7,25,703
12	जम्मू और कश्मीर	14,07,045	4,73,331	88,037	15,480	2,608	1,428	14,97,690	4,90,239
13	झारखंड	13,41,306	5,55,985	19,512	782	1,226	829	13,62,044	5,57,596
14	केरल	1,32,89,361	1,67,077	87,615	111	6,025	2,904	1,33,83,001	1,70,092
15	मध्य प्रदेश	1,29,80,102	29,90,830	4,19,396	1,27,231	29,708	24,097	1,34,29,206	31,42,158
16	महाराष्ट्र	2,35,64,747	80,88,791	4,10,905	2,52,106	29,214	30,709	2,40,04,866	83,71,606
17	मणिपुर	1,54,400	31,962	11,451	589	357	220	1,66,208	32,771
18	मेघालय	4,60,000	-	11,419	-	1,324	-	4,72,743	-
19	मिजोरम	2,89,383	25,836	2,300	393	398	295	2,92,081	26,524
20	नागालैंड	3,17,210	30,522	6,276	845	392	105	3,23,878	31,472
21	पुदुचेरी	4,03,767	5,647	3,105	1	180	-	4,07,052	5,648
22	पंजाब	87,84,807	-	1,84,044	-	12,563	-	89,81,414	-
23	राजस्थान	1,42,74,956	18,99,467	4,34,608	23,834	27,128	25,349	1,47,36,692	19,48,650
24	सिक्किम	1,44,680	78,582	3,229	1,469	633	471	1,48,542	80,522
25	तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500	-	18,274	9,746	3,04,90,774	9,746
26	त्रिपुरा	5,47,489	1,40,240	14,908	5,494	473	473	5,62,870	1,46,207
27	उत्तर प्रदेश	2,69,79,055	59,83,729	15,26,801	2,44,830	20,874	25,362	2,85,26,730	62,53,921
28	उत्तराखंड	15,87,870	4,11,358	59,212	7,441	2,602	2,486	16,49,684	4,21,285
29	पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	5,45,586	3,05,419	44,589	11,874	9,357	2,10,35,262	5,99,532
आरडीएसएस-कुल		19,79,30,130	3,76,56,989	52,52,692	12,56,448	2,05,475	1,58,479	20,33,88,297	3,90,71,916

टिप्पणी: आज तक (दिनांक 15 जनवरी की स्थिति के अनुसार), आरडीएसएस के अंतर्गत 4.05 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और आरडीएसएस सहित अलग-अलग स्कीमों के तहत 5.44 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।
